

**उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा**  
**गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर**

**निविदा के माध्यम से केंद्र के आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आड़ू एवं प्लम बागों के बिक्री की सूचना**

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर वर्ष-2021 में आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आड़ू एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु विविध ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों को निविदा प्रारूप (Tender Form) दिनांक 08.03.2021 से दिनांक 16.03.2021 तक पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक एवं दिनांक 17.03.2021 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक केंद्र कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 17.03.2021 को अपराह्न 2:30 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी तथा निविदा केवल उन्ही ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेगी, जो दिनांक 15.03.2021 से 16.03.2021 तक पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक तथा दिनांक 17.03.2021 के दोपहर 12:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में) रू0 2000.00 + जी0एस0टी0 12 प्रतिशत कुल रू0 2240.00 (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) की निविदा फीस (Tander Fees) का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा में प्रतिभाग करने हेतु रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो अलग-अलग नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक/यूनियन बैंक, पन्तनगर शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर केंद्र कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डालेंगे। निविदा फीस (Tander Fees) रू0 2240.00 का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा की धरोहर धनराशि रू0 50,000.00 का बैंक ड्राफ्ट अलग-अलग निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा। समस्त निविदादाताओं को निर्देशित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भलीभांति निरीक्षण कर ही निविदा डाले, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

**बागों का विवरण:-**

विभाग का नाम	लाट सं०.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं०-1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं०-2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़
	लाट सं०-3	आम व चीकू क्षेत्र सं० - 5	12 एकड़
	लाट सं०-4	आम क्षेत्र सं० - 8,9	27 एकड़
	लाट सं०-5	आम क्षेत्र सं० - 10,11	40 एकड़
	लाट सं०-6	आम व कटहल क्षेत्र सं०- 12,13,14	41 एकड़
	लाट सं०-7	आम क्षेत्र सं० 12 बी (आयु 7 वर्ष)	2.5 एकड़
	लाट सं०-8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं०- 6,7,15	12 एकड़
	लाट सं०-9	आड़ू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं०- 7बी, 12ए	09 एकड़

**निविदा की शर्तें:**

- बागों के ठेके की अवधि 31.08.2021 तक होगी।
- ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भांति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उच्चतम निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया रू0 50,000/- के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रू0 2240/- (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) की निविदा फीस (Tander Fees) वापस नहीं की जायेगी।
- सफल निविदादाता को निविदा समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी/वेन्डर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
- सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) अग्रिम के रूप में निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में पहले जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 50,000/- के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित

नहीं किया जायेगा यदि सफल निविदादाता द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किये गये धरोहर धनराशि रू० 50,000/- के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।

7. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
8. कुलपति महोदय द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा किये गये धरोहर धनराशि रू० 50,000/- के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण के दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह अगले 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम जमा करना होगा। जो केवल भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/ पी०एन०बी० बैंक/यूनियन बैंक, पन्तनगर में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।


9. निविदा की समस्त धनराशियाँ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जायेगीं।
10. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु ठेकेदार को केंद्र कार्यालय से गेट पास प्राप्त करना होगा।
13. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।
14. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

क्र० सं०	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	सं० - 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1100 कि०ग्रा०	100 फल
2.	लीची	सं० - 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	1500 कि०ग्रा०	500 फल
3.	आम व चीकू	सं० - 5	आम 150 कि०ग्रा० चीकू 150 कि०ग्रा०	100 फल 50 फल
4.	आम	सं० - 8,9	आम चौसा 600 कि०ग्रा० अन्य किस्म 400 कि०ग्रा०	100 फल
5.	आम	सं० - 10,11	आम 1500 कि०ग्रा०	100 फल
6.	आम व कटहल	सं०- 12,13,14	आम 1200 कि०ग्रा० व कटहल 250 कि०ग्रा०	200 फल -
7.	आम	सं० 12 बी (आयु 7 वर्ष)	आम 250 कि०ग्रा०	100 फल
8.	नाशपाती कटहल व लीची	सं०- 6,7,15	नाशपाती 400 कि०ग्रा०, लीची 150 कि०ग्रा० व कटहल 50 कि०ग्रा०	100 फल 100 फल
9.	आड़ू एवं प्लम (अलूचा)	सं०- 7बी, 12ए	आड़ू 400 कि०ग्रा० व प्लम 200 कि०ग्रा०	50 फल 50 फल

15. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु0 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
16. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
17. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केंद्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केंद्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
18. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अन्तर्गत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लॉटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।
19. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़े से बचाव तथा फलों की तुड़ाई, दुलाई आदि कार्य स्वयं करने होंगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 20 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता.....  
 पूरा नाम.....  
 पिता का नाम.....  
 ग्राम एवं पो0.....  
 तह0..... जनपद.....  
 पिन..... दूरभाष.....

  
 निविदा जारी संयुक्त प्रशासकीय अधिकारी के हस्ताक्षर  
 उद्यान अनुसंधान केंद्र  
 पत्थरचट्टा

**कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा  
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर  
निविदा प्रपत्र**

निविदा प्रपत्र सं०:

निविदा फीस रू०-2000/- प्रति + 12 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त (कुल रू०-2240.00)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	दिनांक 08.03.2021 से 16.03.2021 तक पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक तथा दिनांक 17.03.2021 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में)
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	दिनांक 15.03.2021 से दिनांक 16.03.2021 तक पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक तथा दिनांक 17.03.2021 के दोपहर 12:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में)
निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 17.03.2021 को अपराह्न 2:30 बजे
निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा

उद्यान अनुसंधान केन्द्र पत्थरचट्टा में बिक्री हेतु उपलब्ध बागों का विवरण निम्नवत हैं।


लाट सं०	बाग का विवरण	क्षेत्रफल	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर अंको में	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर शब्दों में
लाट सं०-1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़		
लाट सं०-2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़		
लाट सं०-3	आम व चीकू क्षेत्र सं० - 5	12 एकड़		
लाट सं०-4	आम क्षेत्र सं० - 8,9	27 एकड़		
लाट सं०-5	आम क्षेत्र सं० - 10,11	40 एकड़		
लाट सं०-6	आम व कटहल क्षेत्र सं०- 12,13,14	41 एकड़		
लाट सं०-7	आम क्षेत्र सं० 12 बी (आयु 7 वर्ष)	2.5 एकड़		
लाट सं०-8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं०- 6,7,15	12 एकड़		
लाट सं०-9	आड़ू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं०- 7बी, 12ए	09 एकड़		

नोट: -निविदादाता एक ही निविदा प्रपत्र पर एक अथवा समस्त लाटों के लिये प्रत्येक लाट के सामने मूल्य अंकित कर सकता है। प्रत्येक लाट की नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त यदि एक निविदादाता को एक से अधिक लाट आवंटित होते हैं तो उक्त को प्रत्येक लाट की धरोहर धनराशि रू० 50,000/- जमा करनी होगी।

मैंने निविदा शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा प्रक्षेत्र पर जाकर बागों का निरीक्षण कर लिया है मुझे सभी शर्तें मान्य हैं। निविदा फीस (Tander Fee) रू० 2240/- का ड्राफ्ट सं० ..... दिनांक ..... एवं रू० 50,000/- की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सं० ..... दिनांक ..... जो कि ..... की पंतनगर शाखा में देय है, जो इस प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

निविदादाता का नाम ..... पिता का नाम .....  
ग्राम ..... पोस्ट .....  
थाना ..... तहसील .....  
जनपद ..... फोन नं- .....  
पैन सं० (आयकर सम्बन्धी) ..... आधार सं० .....

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

  
निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर